फर्द अहकाम

नाम न्यायालय पांची बनाम रामसहाय

केस संख्या 23/2006

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। ... साहब अन्य राजकार्य में ... पत्रावली ... 14/5/24 को पेश हो।
	14/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित, रेस्पोडेन्ट स०। बावजूद भलिभांति ... [illegible] ... पर बहस अपीलान्ट ... सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट स०1 पांची देवी पत्नी भौरिया का नाम ... दर्ज किया जाता है अपीलान्ट ... पेश किया शामिल पत्रावली ... बहस अपील ... पत्रावली 20/5/2024 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	20/5/24	पत्रावली पेश हुई। बहस अपील सुनी गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ... ग्राम मोहनपुरा ... किया जाता है ... पत्रावली ... पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

श्री नरेश कुमार जैन अधिवक्ता द्वारा पेश किया / रिपोर्ट 12/12/06

न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी (द्वितीय), जयपुर

अपील संख्या 23/2006

1. श्रीमती पांची बेवा भौरिया — नाम दर्ज ... 14/5/2024
2. रतन ।
3. रामजीलाल । पुत्रान गोपी
4. कैलाश ।
5. मु0 नारायण बेवा गोपी
6. नंदलाल दत्तक पुत्र स्व0 सोन्या
7. कल्याण पुत्र गणेश
8. छोटूराम पुत्र स्व0 चन्दा
9. रमेश चन्द पुत्र स्व0. चन्दा
10. भगवान सहाय, आयु 16 वर्ष । पुत्रान गोपाल, पौत्र चन्दा, नाबालिग
11. हनुमान सहाय, आयु 14 वर्ष । बविलायत श्रीमती गुलाब देवी माता स्वयं
12. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी गोपाल, पुत्रवधु स्व0 चन्दा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम श्यामपुर बुहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

———अपीलार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र रोडूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोखावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ... मोहनपुरा, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर।
3. ...जस्था... सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

———रेस्पोंडेन्ट्स / प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
अपील प्रार्थना पत्र : 23/2006
निर्णय दिनांक : 20.05.2024

1. श्रीमती पांची बेवा भौरिया (नाम हजफ दिनांक 14.05.2024)
2. रतन } पुत्रान गोपी
3. रामजीलाल } पुत्रान गोपी
4. कैलाश } पुत्रान गोपी
5. मु. नारायण बेवा गोपी
6. नंदलाल दत्तक पुत्र स्व. सोन्या
7. कल्याण पुत्र गणेश (मृतक दौराने अपील)

7/1 प्रहलाद } पुत्रान कल्याण
7/2 शंकरलाल } पुत्रान कल्याण
7/3 रामफूल } पुत्रान कल्याण
7/4 नवलकिशोर } पुत्रान कल्याण

8. छोटूराम पुत्र स्व. चंदा
9. रमेश चन्द पुत्र स्व. चन्दा
10. भगवान सहायता, आयु 16 वर्ष } पुत्रान गोपल, पौत्र चन्दा, नाबालिक बविलायत श्रीमती गुलाब देवी माता स्वयं
11. हनुमान सहाय, आयु 14 वर्ष } पुत्रान गोपल, पौत्र चन्दा, नाबालिक बविलायत श्रीमती गुलाब देवी माता स्वयं
12. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी गोपाल, पुत्रवधु स्व. चन्दा समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम श्यामपुर बुहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र रोडूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोखावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, मोहनपुरा, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध ग्राम पंचायत [illegible] सांगानेर द्वारा दिनांक 06/11/2006 के [illegible] संख्या 68

निर्णय

अपीलार्थीगण की ओर से पेश अपील का [illegible]रण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ग्राम श्यामपुर बुहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भूमि गत खसरा नम्बर 21, खसरा नम्बर 22, खसरा नम्बर 24, खसरा नम्बर 25, खसरा नम्बर 27/1, खसरा नम्बर 29, खसरा नम्बर 52, खसरा नम्बर 53, खसरा नम्बर 54, खसरा नम्बर 55 व खसरा नम्बर 56 कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। हाल बन्दोबस्त में इस भूमि के नए खसरा नम्बर 24, खसरा नम्बर 25, खसरा नम्बर 26, खसरा नम्बर 53, खसरा नम्बर 54, खसरा नम्बर 55, खसरा नम्बर 56, खसरा नम्बर 60, खसरा नम्बर 61, खसरा नम्बर 62 खसरा नम्बर 63, खसरा नम्बर 64, खसरा नम्बर 65, खसरा नम्बर 66, खसरा नम्बर 67, खसरा नम्बर 68, खसरा नम्बर 76, खसरा नम्बर 77, खसरा नम्बर 93, खसरा नम्बर 94, खसरा नम्बर 95, खसरा नम्बर 96, खसरा नम्बर 11/451, खसरा नम्बर 3/452, खसरा नम्बर 92/453, खसरा नम्बर 91/454, खसरा नम्बर 98/455 कुल किता 27 रकबा 3.30 हैक्टेयर बनाये जाकर खातेदारी अपीलार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। भूमि खसरा नम्बर 53, खसरा नम्बर 55, खसरा नम्बर 56 से बने हाल खसरा नम्बर 98 जिसका रकबा 0.86 हैक्टेयर है, गलत रूप से दौराने भू प्रबन्ध कार्य भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने श्रीनारायण, रामसहाय, गौरीलाल पुत्रान बाबूराभ, बिरधा पुत्र रामनाथ, छोटू, कैलाश, बोदू पुत्रान रामप्रसाद, नाथी पत्नी रामप्रसाद के नाम दर्ज कर दिया। गलत इन्द्राज को ठीक कराने ओर भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 0.86 हैक्टेयर को अपने नाम दर्ज कराने के लिए अपीलार्थीगण ने एक वाद उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध उप–खण्ड अधिकारी (द्वितीय), जयपुर के न्यायालय में बाबत् घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है।

अपीलार्थीगण उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 0.86 हैक्टेयर पर हमेशा की तरह बदस्तूर आज भी काबिज हैं और उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अपने नाम हुए गलत इन्द्राज का लाभ उठाते हुए रामसहाय पुत्र बाबूलाल, बिरधा पुत्र रामनाथ तथा छोटू के उत्तराधिकारी धन्ना, चौथमल, गोविन्दराम ने भूमि का बेचान दौराने वाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को कर दिया। उनके द्वारा किया गया यह बेचान पूर्णतः विधि विरूद्ध है, क्योंकि उनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उक्त बेचान [illegible] ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने जरिये नामान्तरकरण [illegible] 68 [illegible] 11–2006 के द्वारा रेस्पोंडेन्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की [illegible] दिया।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 98 के सम्बन्ध में उप–खण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन है। दौराने वाद उक्त भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बेचान किया गया है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया न ही कब्जे के आधार पर उनके द्वारा कोई जांच की गई। इस कारण अपीलार्थीगण को नामान्तरकरण जैर अपील के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। सर्वप्रथम नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 18–11–2006 को हुई। जब अपीलार्थीगण में से रामजीलाल ने वाद में प्रस्तुत करने हेतु भूमि खसरा नम्बर 98 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का से प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलार्थीगण को नामान्तरकरण जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। जमाबन्दी में लगे नोट के अनुसार रामसहाय पुत्र रोडूराम के नाम हुए इन्द्राज को पढ़कर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री नरेश कुमार जैन ने नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु अपीलार्थी रामजीलाल को कहा और उसने दिनांक 20–11–2006 को नामान्तरकरण जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसील, सांगानेर में प्रस्तुत किया। जिस पर बमुश्किल तमाम तहसील सांगानेर से दिनांक 4–12–2006 को नामान्तरकरण जैर अपील की नकल प्राप्त हुई। इस तरह तारीख जानकारी से नकल के दिनों को शुमार करते हुए यह अपील निम्न कारणों के साथ पूरे न्यायालय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है :–

(प) आज्ञा ग्राम पंचायत मोहनपुरा दिनांक 6–11–2006 विधि विरूद्ध, उनके क्षेत्राधिकार के बाहर और वस्तुस्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

नामान्तरकरण संख्या 68 के बाबत् आज्ञा देने का ग्राम पंचायत, मोहनपुरा को नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विरूद्ध घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की विज्ञप्ति को विधि विरूद्ध घोषित किए जाने के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत, मोहनपुरा द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 6–11–2006 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 68 [illegible] क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। [illegible] का कब्जा अहम नामान्तरकरण तस्दीक करने के लिए [illegible] प्रश्न है और नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व [illegible] बाबत् ग्राम पंचायत, मोहनपुरा द्वारा कोई जांच नहीं की गई, जबकि न तो विक्रेतागण और न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्रेतागण का वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 98 पर कभी कब्जा रहा है न वर्तमान में है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 6–11–2006 पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है और नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

दिनांक 6–11–2006 को ग्राम पंचायत, मोहनपुरा की कोई बैठक नही हुई। नामान्तरकरण के बारे में आज्ञा पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। अकेले सरपंच को इस बाबत् आज्ञा देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सरपंच द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 6–11–2006 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 68 उनके क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा निषेधाज्ञा उप–खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) के न्यायालय में वर्ष 2000 से लम्बित है और इस बाबत् तहसीलदार सांगानेर एवं क्रेता तथा विक्रेतागण को पूर्ण जानकारी थी तथा पटवारी हल्का गिरदावर पहले से ही इस तथ्य से पूर्ण रूप से वाकिफ है, परन्तु विक्रेता व क्रेतागण से मिलकर पटवारी हल्का भू अभिलेख निरीक्षक एवं सरपंच द्वारा यह गैर कानूनी कार्यवाही की गई है, जबकि कानून का यह सर्वसामान्य सिद्धान्त है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाहियों को स्थगित रखा जाना चाहिए। न्याय के इस सर्वसामान्य सिद्धान्त के विपरीत निर्णय पारित करने में सुयोग्य ग्राम पंचायत, मोहनपुरा ने न केवल कानूनी गलती की है, बल्कि विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर आज्ञा जैर अपील दिनांक 6–11–2006 ग्राम पंचायत, मोहनपुरा बाबत् नामान्तरकरण संख्या 68 निरस्त फरमाई जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री गोपाल लाल शर्मा ने [illegible] की ओर से वकालतनामा पेश किया। दिनांक 14.05.2024 को [illegible] यी गई। प्रार्थना कोई उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय [illegible] ना पत्र स्वीकार कर पत्र आदेश 22 नियम 2 पर बहस [illegible] अपीलान्ट संख्या 1 पांची देवी पत्नी भौरिया का नाम [illegible] आगे लाल स्याही से

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये गये। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुत हुई।

बहस उपस्थित अपीलार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर आज्ञा जैर अपील दिनांक 6–11–2006 ग्राम पंचायत, मोहनपुरा बाबत् नामान्तरकरण संख्या 68 निरस्त फरमाई जावे।

बहस अपीलार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट ने एक वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 110/2000 उनवानी पांची वगै0 बनाम श्रीनारायण का प्रस्तुत किया था। उक्त वाद के विचाराधीन रहने के दौरान ही प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5/1 लगायत 5/4 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में किये किये गये बैचान दिनांक 28.10.2006, 18.09.2006, व 07.10.2006 के पक्ष में किये गये थे। उक्त शून्य व निष्प्रभावी विक्रय पत्रों के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 06.11.2006 करे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से ग्राम पंचायत मोहनुपरा द्वारा तस्दीक किया गया। जो वादी अपीलान्ट के हक एवं अधिकारों के विपरित होने के कारण शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार जब वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद माननीय न्यायालय में समक्ष विचाराधीन था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा विवादित आराजी को क्रय किया गया था जो वादी के अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्प्रावी है। अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2024 को स्वीकार कर लिया गया तथा उक्त वाद में माननीय न्यायालय ने वादी के साबिक खसरों नम्बरों 53, 55 एवं 56 के आधार बने नये खसरा नम्बर 98 को पुनः वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जा चुके है। जिसके आधार पर अपीलन्ट को खातेदारी अधिकारी विवादित खसरा नम्बरान् पर पुनः प्राप्त हो चुके है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त [illegible] पत्र दिनांक 28.10.2006, 18.09.2006, व 07.10.2006 को दौराने वाद किये गये थे [illegible] प्रकार उक्त विक्रय सबसिक्वेन्ट विक्रय पत्र की श्रेणी में आता है। [illegible] संख्या 1 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र Null and Void है और जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार स्वतः ही शून्य एवं निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र स्वतः ही Null and Void हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

गया है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 06.11.2006 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर उक्त निर्णय की पालना करना सुनिश्चित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested